न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.2.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० हैं। बहस प्रा०पत्र T.I. में वकील उभयपक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस मे वकील उभयपक्षकारान ने रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। प्रकरण में भूमि खसरा संख्या 331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 शामलाती सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। सहखातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अस्थायी निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2011 से जैरकार है। जिसमें लगभग 13 वर्षों बाद किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय आवश्यक नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 RT Act खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.28 16:13:13 IST
Reason: SelfAttested